

FORM NO. III

फर्त अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीगराना (अलवर)

दखानन्द पुत्र श्री ज्ञानचन्द जाति ब्राह्मण निवासी दोसोद तह0 नीगराना
बनाम

पुष्कर पुत्र श्री विशम्बरदयाल तगै0 जाति ब्राह्मण निवासी दोसोद

दिल्ल मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0 38 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागिल में जारी हुए
	<p>15.12.2023 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1074, 1081 वाके ग्राम दोसोद तह0 नीगराना जिला कोटपुतली-बहरोड़ राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 22.01.2024 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीगराना (कोटपुतली-बहरोड़)

फर्द अहकाम

(नियम 25)

1223

मुकाम

बनाम

नं०

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामिल में जारी हुए

अंश 24 आज यह फ्रावली मूल वाद के
साथ पेश हुई। फ्रावली मूल वाद
नोट प्रेस में रवारिज हो चुका है। जर्जी
में ज्ञापत्र भी नोट प्रेस किया है। अतः
जर्जी का ज्ञापत्र नोट प्रेस में रवारिज
किया जाता है। फ्रावली फैसल शुमार
द्वारा नम्बर से कम हो। संलग्न मूल
वाद रहे।

Not possible
डागे कोई
कार्यवाही
नही चाहती है

गजान-६२५५

FD
[Signature]

उपस्थंड अधिकारी
मीरगाता (कोटपूतली-बहरोड)